

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक: 13.08.18 द्वारा गिरीजा डी, व्याख्याता अंग्रेजी का राउमावि नूतन, बांसवाड़ा से राउमावि कुशलगढ, बांसवाड़ा स्थानान्तरण किया गया था। गिरीजा डी द्वारा उक्त आदेश दिनांक: 13.08.2018 के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3229/2018 गिरीजा डी बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 3229/2018 में पारित निर्णय दिनांक: 18.09.2018 से माननीय अधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक: 13.08.18 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक: 13.08.18 को अपीलार्थी गिरीजा डी की सीमा तक निरस्त किया जाता है।

@tuo


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक : 09-10-18
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को उनकी अ0टि0 क्रमांक शिविरा-माध्य/विधि/बी-3/ दिनांक 05.10.2018
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक: 10.09.2018 द्वारा श्रीमती कमलेश वर्मा, व्याख्याता अंग्रेजी को राउमावि खातीपुरा, जयपुर से आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर किया गया था। श्रीमती कमलेश वर्मा द्वारा उक्त आदेश दिनांक: 10.09.2018 के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3445/2018 श्रीमती कमलेश वर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 3445/2018 में पारित निर्णय दिनांक: 05.10.2018 से माननीय अधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक: 10.09.2018 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक: 10.09.2018 को अपीलार्थी श्रीमती कमलेश वर्मा की सीमा तक निरस्त किया जाता है। इन्हें राउमावि खातीपुरा, जयपुर में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/स्थानान्तरण/अंग्रेजी-संस्कृत/2018 दिनांक : 09/10/18
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :-

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जयपुर
3. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) जयपुर
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II) जयपुर
5. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि खातीपुरा, जयपुर
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को उनकी अ0टि0 क्रमांक शिविरा-माध्य/विधि/बी'-3/29962/ई/18 दिनांक 09.10.2018
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर